न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :–110/2019
निर्णय दिनांकः–26.06.2020

उनवान

1. राजेश पुत्र सूरजमल मीणा जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
– वादी

बनाम

1. रामभज पुत्र मूलचन्द मीणा जाति मीणा निवासी सिसोला पोस्ट प्यावडी तहसील पीपलू जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रवि कुमार जैन वकील वादीगण

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी खसरा नम्बर 89/12 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल चैनपुरा तहसील निवाई में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर वह काबिज काश्त है और आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का है। मौके पर वादी व प्रतिवादी ने भूमि का बंटवारा काफी समय से कर रखा है और पूर्ववर्ती मौके के बंटवारे के अनुसार वादी का हिस्सा दक्षिण की तरफ का एवं प्रतिवादी का हिस्सा उत्तरी तरफ का है जिस पर दोनो पक्ष काबिज है और भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है और विधिवत बंटवारा नहीं होने की वजह से कई बार विवाद व तनाव पैदा हो जाता है इसलिये वादी अपने हिस्से की आराजी पर विधिवत बंटवारा करवाकर अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को अलग करवाकर स्थाई रूप से विवाद का निस्तारण चाहता है इसलिये भूमि का विधिवत तकासमा किया जाकर दोनो पक्षो की भूमि अलग–अलग तरमीम कर विभाजन किया जाना है।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बाद जरिये रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। वकील वादी ने साक्ष्यवादी पेश नहीं कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। साक्ष्यवादी बंद की जाती है। प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर प्राथमिक डिग्री आदेश किया जाकर तहसीलदार निवाई को प्राथमिक डिग्री अनुसार तकासमा प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया।

Scanned with CamScanner

तहसीलदार निवाई द्वारा प्राथमिक डिग्री रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिग्री रिपोर्ट पर कोई आपत्ती नहीं की गई। तहसीलदार निवाई द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक डिग्री को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिग्री निम्न प्रकार किया जाता है। प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट में ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का चैनपुरा में स्थित वादवर्णित भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाकरतहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है।

1. वादी सं. 1 श्री राजेश पुत्र सूरजमल जाति मीणा सा. जुगलपुरा हिस्सा बराबर

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
सग्रामपुरा	89 / 30	1—11

1 प्रतिवादी सं. 1 श्री रामभजन पुत्र मूलचन्द मीणा सा. सीसोला पो. प्यावडी तहसील पीपलू

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
संग्रामपुरा	89 / 12	1—12

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/6/2020

जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)
(जे.पी.बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई)

उनवान

1. राजेश पुत्र सूरजमल मीणा जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
– वादी

बनाम

1. रामभज पुत्र मूलचन्द मीणा जाति मीणा निवासी सिसोला पोस्ट प्यावडी तहसील पीपलू जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 110/2019
उपस्थित– श्री रवि कुमार जैन वकील वादी

तहसीलदार निवाई से प्राप्त कूर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट में ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का चैनपुरा में स्थित वादवर्णित भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. वादी सं. 1 श्री राजेश पुत्र सूरजमल जाति मीणा सा. जुगलपुरा हिस्सा बराबर

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
संग्रामपुरा	89/30	1–11

1 प्रतिवादी सं. 1 श्री रामभजन पुत्र मूलचन्द मीणा सा. सीसोला पो. प्यावडी तहसील पीपलू

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
संग्रामपुरा	89/12	1–12

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 06 सन् 2020 को जारी की गई।

26/6
जे0पी0बैरवा
उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned with CamScanner